राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2500/2025

डॉ. सुरेश कुमार यादव

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय,

राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी क.वि. ईएनटी के पद पर जिला चिकित्सालय बाड़मेर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय कोटपूतली, कोटपूतली–बहरोड़ से जिला चिकित्सालय बाड़मेर में हुआ था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने बाड़मेर में दिनांक 31.03.2025 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसर में स्थानांतरित किया गया है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से 98 किमी. दूर स्थित है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के मात्र 3 दिवस की अवधि में अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है और सीएचसी, रामसर में क.वि. ईएनटी का कोई पद नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार

अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 1 माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष